

सं0 लोकपाल (मनरेगा) शिकायत / 2010-
कार्यालय लोकपाल (मनरेगा) विकास भवन (डी0आर0डी0ए0) कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि0 प्र0)


प्रेषित,

श्री किशोरी लाल (सचिव),
ग्राम पंचायत चड़ियार,
तह0 बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ।

दिनांक :- धर्मशाला सितम्बर, 2010

विषय :- मनरेगा से सम्बन्धित श्रीमति कान्ता कुमारी व श्री मति रेखा देवी- शिकायत पत्र।


खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, पंचरूखी द्वारा दिनांक 07.09.2010 को की गई छानबीन की गहन समीक्षा करने के उपरान्त पाया गया कि आपने बिना मिलान कैंश बुक, चैक काट दिए तथा जो सामग्री पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के लिए खरीदी गई, इसका इन्द्राज सामग्री रजिस्ट्रर में नहीं किया गया जो कि नियमों के विरुद्ध है अतः आपको लिखा जाता है कि आप कैंश बुक सम्बन्धित सामग्री बिल व स्टॉक रजिस्ट्रर सहित इस कार्यालय में अग्रिम जांच हेतु दिनांक 04-10-2010 को 11:00 बजे लोकपाल नरेगा कार्यालय में उपस्थित हों। अपने साथ यह भी सूचना लाए कि श्री मति कान्ता कुमारी व श्रीमति रेखा देवी ने सामग्री के बिल पंचायत कार्यालय में कब प्रस्तुत किए व इनकी अदायगी कब की गई।


लोकपाल (मनरेगा)
जिला कांगड़ा धर्मशाला,
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठाकन सं0 154-155 दिनांक 28/09/2010

➤ प्रतिलिपि :-

खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, पंचरूखी जिला कांगड़ा को उनके पत्र सं0 2660 दिनांक 07.09.10 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है तथा यह भी लिखा जाता है कि उक्त पंचायत सचिव को दिनांक 04-10-2010 समय 11:00 मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होने के निर्देश भी जारी करें।


लोकपाल (मनरेगा)
जिला कांगड़ा धर्मशाला,
हिमाचल प्रदेश।

etc